D/NITIN/C.K./638

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू-रा/2017/2012 (7)

प्रस्तुत दिनांक : 28.06.2017

श्री जे.पी. शुक्ला अभिभाषक 28-6-17 को कैम्प भोपाल में प्रस्तुत की गई 28-6

किशोरीलाल चौधरी आत्मज श्री हरीराम चौधरी
निवासी–पुरानी इटारसी, तहसील इटारसी,
जिला होशंगाबाद ------ पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

शासन ------ उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता निम्न निवेदन करता है :–

पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय नर्मदपुरम संभाग होशंगाबाद के राजस्व प्रकरण कमांक 130/अपील/वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2017 से क्षुब्द्ध एवं दुखित होकर निम्न विधिक आधारों पर प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/होशं./भू.रा./2017/2012 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–8–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिकमण किया जाना तहसीलदार द्वारा प्रमाणित पाते हुये प्रश्नाधीन भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत अर्थदण्ड रुपये 60,236/– अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के रुपये 60,236/– अर्थदण्ड को रुपये 40,000/– में परिवर्तित किया गया है जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील का आदेश स्थिर रखने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	